पंचायत निगरानी संख्या : 226/2024
उनवान : रमेश कुमार व अन्य बनाम इस्माईल खां व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

| नये नम्बर | गत नम्बर |
|---|---|
| पंचायत निगरानी संख्या : 226/2024<br>जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/255 | पंचायत निगरानी संख्या 14/2021<br>जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/64 |

प्रार्थी :–

1. रमेश कुमार
2. सुशील कुमार
3. मनोज कुमार पुत्रगण कपूरचंदजी,
4. मृतक सोहनलाल पुत्र कपूरचंद के कायम मुकाम :–
   4/1. जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. सोहनलाल
5. श्रीमती बीबीबाई पत्नी मनसुखलाल
6. श्रीमती कमलाबाई बेवा कपूरचंदजी समस्त जातिगण ओसवाल जैन, निवासीगण खिवांदी, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज. हाल 1501/1502, सूमेर टॉवर, बिल्डींग न. 02 सेठ मोतीशा लेन, मझगांव, मुम्बई 400010

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. इस्माईल खां पुत्र जोमरदीन खांजी, जाति कायमखानी मुसलमान, निवासी जवाईबांध, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड़ जरिये सरपंच महोदय, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड़ द्वारा मिसल संख्या 133/2012–13 में पारित कर उसकी पालना में पट्टा क्रमांक नील दिनांक 20.07.2013 को जारी किया जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 226 / 2024
उनवान : रमेश कुमार व अन्य बनाम इसमाईल खां व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।

**—:निर्णय:—**

दिनांक: 10.09.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड़ द्वारा मिसल संख्या 133 / 2012—13 में पारित कर उसकी पालना में पट्टा क्रमांक नील दिनांक 20.07.2013 को जारी किया जिसे निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई, निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के मालिकाना, स्वामित्व की खरीदसुदा गैर मुमकीन आबादी भूमि ग्राम बलवना के खसरा संख्या 166 से 170 कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 166 से 170 के सैटलमेंट पूर्व गत खसरा संख्या 03 थे। उपरोक्त भूमि शुरु से ही बिसलपुर ठीकाना की आबादी भूमि रही है, जिसका आबादी का पट्टा ठाकुर श्री सवाईसिंह के नाम संवत् 2011 के चेत्रवद तेरस का बना हुआ है। साथ ही एक पट्टा शैतानकुंवर पत्नी ठाकुर पृथ्वीसिंह के नाम का बना हुआ है। उपरोक्त दोनों ही पट्टो की भूमि के गत खसरा नम्बर 3 मीन थे, जिसके हाल खसरा संख्या 166 से 170 बने है। उपरोक्त पट्टो की आबादी भूमि को प्रार्थीगण के पूर्वज निहालचंद व कपूरचंद ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.08.1966 द्वारा खरीद की है, तत्समय से ही प्रार्थीगण के पूर्वज और उनकी मृत्युपरांत प्रार्थीगण बतौर मालिक काबिज है एवं उपयोग, उपभोग कर रहे है। उपरोक्त खसरान की आबादी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गलती से सिवायचक दर्ज कर दी और प्रार्थीगण के पूर्वजों के विरुद्ध धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम के तहत नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.11.1983 को बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण की ओर से एक अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय में पेश की थी, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.1984 को स्वीकार कर बेदखली के आदेश को अपास्त किया गया। उपरोक्त भूमि को सरकारी सिवायचक होना मानते हुए अप्रार्थी संख्या एक के पिता द्वारा उपरोक्त भूमि को स्वयं के नाम से तहसीलदार बाली के आदेश क्रमांक 1621 दिनांक 29.06.1969 को नियमन करवा दी और म्यूटेशन संख्या 62 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पिता का नाम दर्ज कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय पाली में नियमन को निरस्त करवाने हेतु प्रकरण संख्या 359 / 1999 पेश किया। जिसमें उपरोक्त नियमन को आदेश दिनांक 12.06.2001 द्वारा निरस्त किया गया और उपरोक्त भूमि को प्रार्थीगण की खरीदशुदा, पट्टाशुदा, आबादी होना माना गया। उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या एक की ओर से एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में अपील संख्या 37 / 2001 पेश की, जो दिनांक 17.04.2002 को खारिज हो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

गई एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय पाली द्वारा नियमन निरस्ती के आदेश को बहाल रखा गया। इस तरह उपरोक्त आदेश अंतिम हो गया। उपरोक्त भूमि गत खसरा संख्या 3 मीन हाल खसरा संख्या 166 से 170 की किस्म सैटलमेंट विभाग द्वारा गैर मुमकीन आबादी दर्ज की गई।

प्रार्थीगण के नाम उपरोक्त भूमि दर्ज करवाने के सम्बन्ध में सैटलमेंट विभाग में प्रकरण पेश किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 4/1985 थे। उपरोक्त प्रकरण में ई.एस.ओ. द्वारा दिनांक 29.09.1985 को उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व की मानी गई। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीगण का नाम दर्ज किये जाने बाबत् एक प्रकरण प्रार्थीगण की ओर से उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में राजस्व विविध संख्या 38/87 पेश किया था। जिसमें दिनांक 04.02.1988 को निर्णय पारित कर उपरोक्त भूमि को प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत् निर्णय पारित किया गया। उपरोक्त निर्णय की पालना में म्यूटेशन संख्या 45 द्वारा प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किया गया। तदनुसार आज दिनांक तक उपरोक्त भूमि गैर मुमकीन आबादी के रुप में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। और प्रार्थीगण उपयोग, उपभोग कर रहे है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक, उसके भाई रमजानखां, अकरमखां, ने मिलकर एक वाद धारा 88,188 राज. टिनेंसी एक्ट का उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के न्यायालय में प्रार्थीगण के विरुद्ध वाद संख्या 36/2002 (पुराने 134/1991) पेश किया था, जो निर्णय दिनांक 17.11.2014 द्वारा उपरोक्त भूमि को आबादी मानते हुए वाद को खारिज किया गया। जिसके विरुद्ध उक्त अप्रार्थी संख्या एक वगैरा द्वारा अपील संख्या 89/2014 आर.ए.ए. पाली के न्यायालय में पेश की, जो भी दिनांक 30.07.2019 को खारिज हो गई। उपरोक्त समस्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों एवं तथ्यों अनुसार उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत की मालिकाना, स्वामित्व की कभी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को उपरोक्त भूमि को विक्रय करने एवं किसी भी व्यक्ति के पक्ष में पट्टा देने की विधिक रुप से कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। पंचायत नियम 1996 के नियम 140, 142 अनुसार ग्राम पंचायत स्वामित्व की भूमि को ही विक्रय करने का ग्राम पंचायत को अधिकार प्राप्त है। जबकि उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत की स्वामित्व की नहीं होकर प्रार्थीगण के स्वामित्व की है। उपरोक्त भूमि में से ही एक भूखण्ड के सम्बन्ध में एक आवेदन भूखण्ड के विनियमितिकरण कर पट्टा दिलाने बाबत अप्रार्थी संख्या एक ने ग्राम पंचायत में पेश किया। उक्त आवेदन पर आवेदन प्रस्तुति की दिनांक अंकित नहीं है, के आधार पर दिनांक 15.05.2013 को उपरोक्त मिसल दर्ज की गई। उपरोक्त मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि मिसल में केवल आवेदक का नाम व निवासी खाली छोडे हुए है, शेष सभी इन्द्राज लिखकर उसकी फोटोकॉपी करवाकर प्रत्येक मिसल में नाम–पते एवं दिनांक इत्यादि बाद में भरे गये है। उपरोक्त भूखण्ड को पुश्तैनी बताते हुए आवेदन पेश किया गया और आवेदन में भूखण्ड ही बताया गया, मकान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

नहीं बताया गया। उपरोक्त मिसल में दिनांक 20.06.2013 को नियम 146 के तहत तीन वार्डपंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुति बाबत आदेश पारित किया गया, लेकिन पंचों के नाम दर्ज नहीं है। वास्तव में विधि अनुसार तीनो पंचों के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह कि पुनः मिसल दिनांक 20.06.2013 को पेश होना बताया, जिसमें वार्ड पंचों द्वारा पट्टा दिये जाने की सिफारिश और मौके पर मकान का कब्जा व अधिकार अप्रार्थी संख्या एक का बताया गया। तत्पश्चात नियम 148 के तहत आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु एक माह का नोटिस जारी किये जाने का निर्णय पारित किया गया तत्पश्चात पत्रावली पुनः दिनांक 05.07.2023 को पेश होना बताया गया है और एक माह का आपत्ति पत्र जारी होना बताया, लेकिन आपत्ति जारी नहीं होना बताया। तत्पश्चात आगामी बैठक में दो गवाह पेश करने बाबत् बताया। उपरोक्त एक माह का आपत्ति नोटिस जारी होने बाबत् और कोई आपत्ति पेश नहीं होने बाबत जो तथ्य लिखे है वह प्रथमदृष्टया ही झूठे प्रमाणित है, क्योंकि पूर्व बैठक दिनांक 20.06.2013 को एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने बाबत् आदेश पारित किया गया। उस आदेश अनुसार दिनांक 20.06.2013 को ही आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी किया जाता है तो एक माह की म्याद दिनांक 20.07.2013 को ही समाप्त होती है, जबकि उसके 15 दिन पहले ही दिनांक 05.07.2013 को आदेशिका में यह अंकित कर दिया कि एक माह की अवधि गुजर चुकी है, लेकिन कोई आपत्ति पेश नहीं हुई। इससे यह स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही अवैधानिक तरीके से की गई है। यह कि अन्तिम आदेशिका दिनांक 20.07.2013 द्वारा नियम 157 (1) (क) के तहत पुराने मकान के विनियमितिकरण रुपये 200/– में किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक के नाम पट्टा जारी करने बाबत् आदेश पारित किया है, जो किसी भी रुप में विधिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अप्रार्थी संख्या एक ने स्वयं अपने आवेदन में भूखण्ड का विनियमितिकरण चाहा था। मौके पर भूखण्ड होना बताया था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूखण्ड को मकान बताते हुए नियम 157 के तहत पुश्तैनी साबित मानकर पट्टा जारी करने बाबत् आदेश पारित किया है। जबकि न तो अप्रार्थी संख्या एक का मौके पर भूखण्ड है, न ही मकान है, बल्कि उपरोक्त भूमि जिसे आवेदन में वर्णित पडौस बीच की बताई गई है वह खसरा संख्या 169 की भूमि है, जो प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्यशुदा है। यह भी कि अप्रार्थी संख्या एक ने अनेकानेक बार उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में अलग अलग न्यायालयों में अनेकानेक प्रकरण पेश किये है और सभी प्रकरणों का अंतिम निर्णय आ चुका है, जिस अनुसार एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उपरोक्त भूमि गत खसरा संख्या 3 मीन, हाल खसरा संख्या 166 से 170 प्रार्थीगण की आबादी की, खरीदशुदा, पट्टाशुदा है। जिस बाबत न तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का हक, हकुक, अधिकार प्राप्त हुए है, न ही प्राप्त हो सकते है, न ही ग्राम पंचायत को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने की अधिकारिता है। जब उपरोक्त भूमि ग्राम पंचायत की स्वयं की मालिकाना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 226 / 2024
उनवान : रमेश कुमार व अन्य बनाम इस्माईल खां व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

की ही नहीं है, बल्कि प्रार्थीगण के मालिकाना की है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को उपरोक्त भूमि को विक्रय करने और पट्टा देने का विधिक रुप से कोई अधिकार नही है, इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही अवैध, शून्य और बिना अधिकारिता की है, जो प्रथमदृष्टया ही अपास्त योग्य है। उपरोक्त भूमि का ग्राम पंचायत में मालिकाना हक, स्वत्व कभी भी वेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए भी ग्राम पंचायत को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने, पट्टा देने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। यह कि जैर निगरानी आदेश मय पट्टे की सर्वप्रथम जानकारी हाल ही में करीब..... माह पूर्व हुई, जब उपरोक्त पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या एक मौके पर अवैध रुप से निर्माण करने की कोशिश की, जिसका विरोध प्रार्थीगण द्वारा किया गया। तब अप्रार्थी संख्या एक ने अपने पास पट्टा होना बताया, जिस पर प्रार्थीगण की ओर से ग्राम पंचायत में आवेदन पेश कर मिसल एवं पट्टे की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की इससे पूर्व उपरोक्त मिसल व पट्टे की प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। यह भी कि जैर निगरानी आदेश मय पट्टे से प्रार्थीगण पूर्ण रुप से व्यथित व प्रभावित पक्षकार है तथा जैर निगरानी पट्टे व आदेश को चुनौति देने हेतु हितबद्ध पक्षकार है तथा जैर निगरानी पट्टे व आदेश को चुनौति देने हेतु हितबद्ध पक्षकार है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमावें तथा जैर निगरानी आदेश मय पट्टा अपास्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध जो पंचायत निगरानी प्रस्तुत की गई है उसमें कौनसे प्रस्ताव एवं किस नम्बर के पट्टे को चुनौति दी गई है, उसका कोई स्पष्ट उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा अपनी पंचायत निगरानी एवं अनुतोष में भी नहीं किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, उसके क्रमांक एवं प्रस्ताव संख्या दर्ज है। इस कारण प्रार्थीगण की उक्त निगरानी प्रथमदृष्टया चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने योग्य है।
2. यह है कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 89 / 2014 में निर्णय दिनांक 30.07.2019 में, उक्त निगरानी में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में जो भूमि राजकीय खाते से सीधे ही निजी व्यक्ति को आबादी में दर्ज की जाकर खातेदार घोषित किया गया, जिसके सम्बन्ध में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार, सुमेरपुर को रेफरेन्स की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि थी। प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं होने से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

उक्त निगरानी प्रार्थीगण की चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह है कि प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के पद संख्या 2 में जो भूमि के खसरा न. वर्णित किये है एवं अपनी आबादी की भूमि बताई गई है। जिस भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान में राजस्व मण्डल, अजमेर में द्वितीय अपील विचाराधीन है,जो अपील संख्या 4753/2019 विचाराधीन है एवं उसमें स्थगन आदेश जारी है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के स्थगन आदेश के प्रभाव में रहते हुए उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की सुनवाई की जाना न्यायोचित नहीं होने से उक्त निगरानी प्रथमदृष्टया इस स्तर पर सुनवाई योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् के न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड़ द्वारा मिसल संख्या 133/2012–13 कायम करते हुए पट्टा संख्या 56 दिनांक 20.07.2013 को जारी कर रखा है उसके सम्बन्ध में पंचायत निगरानी पेश कर रखी है, जो प्रथम दृष्टया ही रिकॉर्ड व मौका स्थिति के विपरित होने से खारिज करने योग्य है। क्योंकि जिस भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी किया है वह प्रारम्भ से ही ग्राम पंचायत की भूमि रही है एवं इसके रहते अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी के अलावा अड़ौस–पड़ौस में अन्य व्यक्तियों को भी पट्टा जारी किये हुए है, जिसके रहते उनके मकान आदि निर्मित किये हुए है।
2. यह है कि ग्राम बलवना के हाल खसरा नम्बर 167 से 170 जो सेटलमेण्ट पूर्व गत खसरा नम्बर 3 बने है की भूमि प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी खरीदशुदा बताते है परन्तु गत खसरा नम्बर 3 के खसरा नम्बर 3/1 में रकबा 2 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम की भूमि तहसीलदार बाली के आदेश संख्या 1621/29.09.69 के जरिये अप्रार्थी संख्या 01 के पिता जोमरुद्दीन खां पुत्र हैदर खां के नाम से नियमन की गई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 62 नियमानुसार भरा जाकर स्वीकृत हुआ एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पिता जोमरुद्दीन खां की मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 29 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 सहित तमाम वारिशान् के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रुप में दर्ज किये गये। इस तरह जैर निगरानी पट्टाशुदा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी, कब्जाशुदा एवं उपयोग–उपभोग की रही है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना कब्जा लगातार रुप से काबिज रखते हुए अपनी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

सुविधा अनुसार मकान का निर्माण करवाया एवं उस पर विद्युत व जल कनेक्शन नियमानुसार प्राप्त की, जो आज भी स्थापित है।

3. यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा अपने पिता के नाम से नियमनशुदा भूमि गत खसरा नम्बर 3/1 को पुनः सिवाय चक दर्ज की जाने से अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाईयों ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया परन्तु उपखण्ड अधिकारी महोदय ने केवल मात्र रिकॉर्ड में उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आबादी दर्ज होने से वाद को अपने क्षेत्राधिकार का नही मानते हुए खारिज कर दिया जो विधिपूर्ण नहीं था। उक्त खारिज आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी महोदय, पाली के समक्ष अपील पेश की गई, जिन्होंने भी उक्त भूमि को आबादी मानते हुए खारिज कर दिया परन्तु उक्त आदेश में विशेष टिप्पणी करते हुए यह उल्लेखित किया कि खसरा नम्बर 166 लगायत 170 कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन आबादी की जांच हेतु तहसीलदार महोदय भूमिधारी सुमेरपुर व आप श्रीमान् जिला कलेक्टर पाली को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु ध्यान आकृर्षित किया जिसकी अभी तक कोई जांच एवं कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है ऐसी स्थिति में यह कतई रुप से नहीं कहा जा सकती कि उक्त भूमियां नियमानुसार एवं अन्तिम रुप से प्रार्थीगण की मालिकाना हक की रही है, जिससे प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

4. यह है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 166 लगायत 170 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपनी खातेदारी में दर्ज होने एवं उक्त भूमि निहालचन्द कपूरचन्द द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 18.08.1966 के शैतानकंवर पत्नी ठाकुर पृथ्वीसिंह से खरीद करना एवं पुश्तैनी बताया जा रहा है जबकि दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार उक्त खरीद विक्रय–विलेख में गत खसरा नम्बर 3 या अन्य किसी खसरा नम्बर की भूमि होना किसी भी रुप से स्पष्ट नही है ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त भूमि ही प्रार्थीगण के पिता द्वारा खरीद की हुई है।

5. यह है कि उपरोक्त खातेदारी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध श्रीमान् राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय में अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर रखे है जो अपील 4753/2019 के दर्ज होकर आज भी पत्रावली में स्थगन आदेश जारी होकर प्रभाव में है ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों के सम्बन्ध में अपील के विचारण के रहते यह कतई रुप से स्वीकार योग्य नहीं है कि उक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

भूमियां प्रार्थीगण की पुश्तैनी है, जिससे भी अपील के विचाराधीन रहते पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

6. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा मिसल पत्रावली कायम करते हुए पंचायत राज नियमों का विधिवत पालन करते हुए एवं सम्बन्धित तमाम कार्यवाही पूर्ण करते हुए जैर निगरानी पट्टा प्रस्ताव व आदेश पारित कर पट्टा जारी किया है जो सही है। इस दरमियान प्रार्थीगण द्वारा कभी भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई एव न ही अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया है जिससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पास पैतृक पुश्तैनी रुप से कब्जे एवं उपयोग–उपभोग की शांतिपूर्ण रुप से चली आ रही है।

7. यह है कि रियासतों के विलयन के बाद ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई उसके रहते ठीकानों की भूमियां ग्राम पंचायत के अधीन हो गई जिसके रहते उक्त जैर निगरानी पट्टा भूमि भी ग्राम पंचायत के कब्जे में रही है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में सही एवं उचित कार्यवाही के जारी किया है।

8. यह है कि गत खसरा नम्बर 3 एवं 3 मीन की भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज रहते हुए सिवायचक रही है एवं उसकी किस्म बारानी प्रथम दर्ज थी, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि ठीकाने की आबादी किसी भी रुप में नहीं हो सकती थी एवं यदि सेटलमेण्ट अधिकारियों ने उक्त किस्म को बारानी से बदलकर गैर मुमकीन आबादी दर्ज कर दिया तो उन्हें कतई ऐसे विधिक अधिकार नहीं थे इसके अतिरिक्त उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड खतौनी संवत् 2044 से 2047 में भी खाता संख्या 02 में अलावा जोत ना काबिज काश्त दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन आबादी के रुप में दर्ज की हुई है जो विधि मान्य नहीं है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

9. यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त भूमि पर नियमित रुप से कब्जा कायम है जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का बलवना की मौका फर्द दिनांक 12.06.2019 व दिनांक 15.12.2020 से भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई है एवं खसरा नम्बर 169 रकबा 0.14 हैक्टेयर पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा कायम रहते उसका मकान वगैराह बना हुआ है एवं शेष भाग में तारबंदी कर रखी है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया और बहस सुनने का निश्चय किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 226/2024
उनवान : रमेश कुमार व अन्य बनाम इस्माईल खां व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया किया कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. कपूरचंद जी एवं निहालचंद जी की खरीदशुदा स्वामित्व की निजी आबादी भूमि है जिसके ठिकाणा बिसलपुर द्वारा सवंत् 2011 में पट्टे जारी किये हुए है। उक्त क्रयशुदा व पट्टाशुदा भूमि खसरा संख्या 166 से 170 मौजा बलवना को सेटलमेण्ट विभाग द्वारा वर्ष 1985 में गै.मु.आबादी दर्ज किया गया तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा वर्ष 1988 द्वारा प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज किया गया। यह कि अप्रार्थीपक्ष द्वारा ठिकाणे के पट्टों (सवंत् 2011) तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तथा सेटलमेण्ट विभाग के पूर्वोक्त निर्णयों को आदिनांक तक किसी भी न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई। विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी में स्थित आबादी भूमि माना है तथा अप्रार्थीपक्ष द्वारा भी विभिन्न न्यायिक कार्यवाहियों में इस भूमि को खातेदारी/सिवायचक भूमि ही स्वीकार किया है अर्थात् प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधीन आबादी भूमि नहीं थी, इसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा ग्राम पंचायत के साथ दुरभिसंधि करते हुए आलोच्य पट्टा विलेख स्वयं के पक्ष में निष्पादित करवाया है, जो प्रथमदृष्टया ही निरस्त योग्य है। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक़्त बहस यह भी निवेदन किया कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 56 से सम्बन्धित मिसल संख्या 133/2012–13 में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में उपबन्धित आज्ञापक प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना भी नहीं की गई है, जिनका निगरानी याचिका में पदवार उल्लेख किया गया है। अतः निगरानीयाचिका स्वीकार करते हुए आलोच्य मिसल संख्या 133/2012–13 में सम्पादित सम्पूर्ण कार्यवाही तथा पट्टा विलेख संख्या 56 दिनांक 20.07.2013 को निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:–

1. 610 Bool singh Vs. State of Raj. Ors.RRT 2001 (1)
2. 450 Chhaja Ram Vs. R.A.A. RRT 2002 (1)
3. 560 Harnam singh Vs. The State & Ors. DNJ (Raj) 1998
4. 1541 RJT 2010 (2)
5. 385 RJT 2 017(1)
6. CW 9727/2014 (HC) dated 23-08-2018

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष के उपरोक्त तर्कों का खण्डनकरते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि जैर निगरानी प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीसंख्या एक की पुश्तैनी उपयोग उपभोग की भूमि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 226/2024
उनवान : रमेश कुमार व अन्य बनाम इस्माईल खां व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

रही है जिसे तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 29.09.1969 को अप्रार्थी के पिता श्री जोमरुद्दीन के पक्ष में नियमन की गई थी। यह भी, कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय में अपील विचाराधीन है जिसमें न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है, अतः हस्तगत निगरानी संधारणीय नहीं है, काविल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:-

1. 368 RRD 1998
2. 370 RRD 1998
3. 242 RRD 2001

काविल अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा तर्कों पर मनन किया गया। बहस के दौरान प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मिसल संख्या 133 से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया।

निगरानी याचिका में अंकित कथनों तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार प्रकरण का मज़मून यह है कि ग्राम बलवना के गत खसरा संख्या 3 मीन वर्तमान खसरा संख्या 166 से 170 कुल रकवा 1.74 हैक्टेयर प्रार्थीगण के पूर्वजों की क्रयशुदा भूमि है। उक्त भूमि पर ठिकाणा विसलपुर द्वारा सवत् 2011 में दो पट्टे क्रमशः ठाकुर सवाईसिंह तथा श्रीमती शैतान कंवर पत्नी श्री पृथ्वीसिंह के पक्ष में निष्पादित किए गए, उक्त पट्टाशुदा भूमियों बमाप 300 X 500 एवं 300 X 150 फीट को प्रार्थीगण के पूर्वज श्री निहालचंद एवं श्री कपूरचंद द्वारा दिनांक 18.08.1966 को ज़रिए पंजीवद्ध विलेख क्रय किया गया। जमावंदी संवत् 2072-75 मौजा बलवना, जो कि पत्रावली में उपलब्ध है, के अनुसार प्रश्नगत खसरा संख्या 166 से 170 कुल रकवा 1.74 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में गै.मु. आबादी भूमि के रुप में इन्द्राज है। पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल प्रति से यह स्पष्ट होता है कि उक्त खसरा संख्या 166 से 170 गत खसरा संख्या 3 मीन से बने है। साथ ही, यह स्वीकार्य स्थिति है कि गत खसरा संख्या 3 मीन से तहसीलदार बाली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पिता श्री जोमरुद्दीन खां पुत्र श्री हैदर खां के पक्ष में जरिए आदेश क्रमांक 1621 दिनांक 29.09.1969 के भूमि नियमन की गई, जो श्री जोमरुद्दनी खां की मृत्यु उपरान्त ज़रिए नामान्तरकरण संख्या 29 अप्रार्थी संख्या एक व उसके भाईयों के नाम इन्द्राज हुई। प्रार्थीगण निगरानीकर्ता द्वारा उक्त नियमन के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20 राजस्थान भू-आवंटन (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1970 प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण संख्या 359/99 के रुप में दर्ज हुआ। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 226 / 2024
उनवान : रमेश कुमार व अन्य बनाम इस्माईल खां व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

उक्त प्रकरण संख्या 359 को दिनांक 12.06.2001 को निर्णीत करते हुए श्री जोमरुद्दीन के पक्ष में किये गए उक्त नियमन आदेश को खारिज किया गया, जिसके विरुद्ध एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में पेश की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त अपील प्रकरण संख्या 37 / 2001 को निर्णय दिनांक 17.04.2002 से खारिज करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.06.2001 को बहाल रखा गया।। विवादग्रस्त आराजी उक्त न्यायिक कार्यवाहियों से पूर्व विवादग्रस्त आराजी गत खसरा संख्या 3 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा की भूमि पर स्व. कपूरचंद का अतिक्रमण मानते हुए नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 30.11.1983 को आदेश पारित किये गए जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश पाली में अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश पाली द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 25.05.1984 द्वारा नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जैर निगरानी प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थीगण के पिता के विरुद्ध पारित बेदखली कार्यवाही को अपास्त किया गया तथा उक्त भूमि को आबादी भूमि माना गया। न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश पाली के उक्त निर्णय दिनांक 25.05.1984 के मुताबिक सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सुमेरपुर द्वारा सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान प्रकरण संख्या 704 / 85 में दिनांक 29.09.1985 को निर्णय पारित करते हुए मौजा बलवना के गत खसरा संख्या 3 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा (हाल खसरा संख्या 166 से 170 कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर) को प्रार्थीगण की कब्जे स्वामित्व की भूमि मानते हुए उसकी किस्म जवाई नहरी प्रथम की बजाए गै.मु. आबादी के रुप में दर्ज करने के आदेश दिये गए, तदुपरान्त प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रश्नगत भूमि स्वयं के नाम इन्द्राज करने का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 38 / 87 प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 04.02.1988 के गत खसरा नम्बर 3 रकबा 11.04 बीघा हाल खसरा संख्या 166 से 170 रकबा 1.74 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम आबादी भूमि दर्ज करने के आदेश दिए गए, जिसकी अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 31.05.1988 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम इन्द्राज किया गया।

इसी क्रम में अप्रार्थी संख्या एक व उसके भाईयों द्वारा जैर निगरानी विवादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 169 के सम्बन्ध में खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा उक्त वाद प्रकरण संख्या 36 / 2002 को जरिये निर्णय दिनांक 17.11.2014 आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानान्तर्गत इस आधार पर खारिज किया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के खाते में आबादी भूमि के रुप में दर्ज है। जिसके सम्बन्ध

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

में राजस्व न्यायालय में अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। उक्त निर्णय के विरुद्ध अप्रार्थीपक्ष द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में अपील प्रकरण संख्या 89/2014 प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा ज़रिए निर्णय दिनांक 30.07.2019 अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण संख्या 4753/2019 के रुप में दर्ज होकर आदिनांक लम्बित है। तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2019 द्वारा जैर अपील प्रश्नगत खसरा संख्या 169 मौजा बलवना के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने की निषेधाज्ञा भी पारित की हुई है। किन्तु राजस्व न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी संख्या एक द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर वर्ष 2012–13 में मिसल संख्या 133 कायम करते हुए ग्राम पंचायत एरनपुरा रोड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में दिनांक 20.07.2013 को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत भूमि विक्रय विलेख अर्थात् पट्टा निष्पादित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ज़रिए हस्तगत निगरानी उक्त भूमि विक्रय विलेख संख्या 56 की भूमि को स्वयं की खातेदारी में स्थित आबादी भूमि खसरा संख्या 166 से 170 का भाग बताते हुए उक्त विलेख की वैधता को चुनौति दी गई है। अप्रार्थी द्वारा विचाराधीन निगरानी याचिका में प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति के पैराग्राफ संख्या दो तथा लिखित बहस के पैराग्राफ संख्या दो एव आठ में यह स्वीकार किया कि आलोच्य पट्टे से सम्बन्धित भूमि पूर्व में राजकीय सिवायचक भूमि रही है, जिसका उनके पिता के पक्ष में नियमन किया गया था। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस के पैराग्राफ संख्या पांच एवं प्राथमिक आपत्ति के पैराग्राफ संख्या तीन में यह ऐतराज प्रस्तुत किया है कि जैर निगरानी आलोच्य भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में अपील प्रकरण संख्या 4753/2019 लम्बित है तथा मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने से हस्तगत पंचायत निगरानी संधारणीय नही है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में अपील संख्या 4753 मौजा बलवना के खसरा संख्या 169 रकबा 0.14 हैक्टेयर से संबंधित है अर्थात् स्वयं अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्राथमिक आपत्ति एवं लिखित बहस में यह स्वीकार किया गया है कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 56 की भूमि उक्त खसरा संख्या 169 में अवस्थित है एवं खसरा संख्या 169 सहित अन्य खसरा संख्या 166, 167, 168 एवं 170 की भूमि कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा प्रकरण संख्या 38/87 में पारित निर्णय दिनांक 04.02.1988 द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी में आबादी भूमि के रुप में दर्ज किया गया है, जिसे अप्रार्थीपक्ष द्वारा आदिनांक किसी भी न्यायालय में कहीं चुनौति नहीं दी गई है। अर्थात् जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि खसरा संख्या 169 राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी में स्थित व्यक्तिगत आबादी भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत एरनपुरा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 226/2024
उनवान : रमेश कुमार व अन्य बनाम इस्माईल खां व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 56 निष्पादित किया गया, जबकि उक्त भूमि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 में यथापरिभाषित आबादी भूमि की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से इतर सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पादित की गई। इसके अतिरिक्त जैसा कि पूर्व पैराग्राफ में विस्तृत विवरण के साथ अंकित किया गया है कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत आराजी को ठिकाणा बीसलपुर के पूर्व जागीरदार द्वारा सवंत् 2011 में जारी पट्टों से सम्बन्धित भूमि माना गया है, तो प्रार्थीपक्ष का यह तर्क भी सिद्ध पाया जाता है कि ग्राम पंचायत ऐरनपुरा रोड़ द्वारा ठिकाणे द्वारा जारी पट्टाशुदा भूमि पर पुनः पट्टा जारी कर अवैधानिक कार्यवाही प्रभाव में लाई गई, जबकि निजी आबादी भूमि पर कार्यवाही करने का ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार नहीं था। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि अप्राथीपक्ष द्वारा पूर्व जागीरदार ठिकाणा बीसलपुर द्वारा प्रदत उक्त पट्टो को किसी न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है और न ही अप्रार्थी द्वारा सहायक भू प्रबंध अधिकारी के निर्णय दिनांक 29.09.1985 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 04.02.1988 को ही आदिनांक किसी न्यायालय में चुनौति दी गई है, जिनके द्वारा विवादग्रस्त आराजी को प्रार्थीगण की खातेदारी में आबादी भूमि के रुप में दर्ज किया गया था। इसके उलट, अप्रार्थीपक्ष द्वारा आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि खसरा संख्या 169 मौजा बलवना को पूर्व में राजकीय सिवायचक भूमि (जिसका स्व. जोमरुद्दीन खां के पक्ष में नियमन किया गया था तथा जिस नियमन आदेश को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा दिनांक 12.06.2001 को खारिज किया गया) मानते हुए खातेदारी अधिकारों की उदघोषणा हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर में प्रकरण संख्या 36/2002 प्रस्तुत कर चाराजोही की गई तथा उक्त वाद व प्रथम अपील खारिज होने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में ज़रिए अपील संख्या 4753/2019 चाराजोही की जा रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जहां एक तरफ प्रश्नगत भूमि में खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा हेतु कार्यवाही की जा रही थी वहीं दूसरी तरफ उसी भूमि पर ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पक्ष में आबादी भूमि का पट्टा विलेख संख्या 56 दिनांक 20.07.2013 निष्पादित करवाया गया। अप्रार्थी संख्या एक का उक्त कृत्य न्यायिक प्रक्रिया एवं पंचायत मशीनरी के दुरुपयोग का कुत्सित प्रयास ही माना जा सकता है।

अप्रार्थीपक्ष का यह तर्क भी परिपोषणीय नहीं है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर प्रदत स्थगन आदेश प्रभावी होने से हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका संधारणीय नहीं हैं। चूंकि माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 4753/2019 में प्रदत अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 06.09.2019 द्वारा जैर अपील आराजी (खसरा संख्या 169) की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने के निर्देश दिए गए है तथा राजस्व

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 226 / 2024
उनवान : रमेश कुमार व अन्य बनाम इस्माईल खां व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अभिलेख में अकन अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम गैर मुमकीन आबादी के रुप में दर्ज है जबकि हस्तगत निगरानी याचिका द्वारा जिस आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 56 को निरस्त करने की मांग की गई है, वह पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में निष्पादित किया गया है |

संक्षेप में, अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति तथा लिखित बहस में अंकित कथनानुसार यह स्वीकार्य स्थिति (admitted position) है कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि मौजा बलवना के खसरा संख्या 169 से सम्बन्धित भूमि है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की खातेदारी में निजी आबादी भूमि के रुप में दर्ज इन्द्राज है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्वाधीन एवं उसके खाते में दर्ज भूमि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ऐरनपुरा रोड़ को उक्त भूमि को विक्रय करने एवं किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित करने की वैधानिक अधिकारिता प्राप्त नहीं थी, चूंकि उक्त भूमि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 में यथापरिभाषित आबादी भूमि की श्रेणी में शामिल नहीं थी। ग्राम पंचायत ऐरनपुरा रोड़ को ऐसी भूमि पर पट्टा आवेदन प्राप्त करने, मिसल कायम करने तथा तथा संकल्प पारित कर पट्टा विलेख निष्पादित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य मिसल संख्या 133 / 2012–13 में सम्पादित सम्पूर्ण कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निष्पादित की गई कार्यवाही होने से आलोच्य संकल्प तथा भूमि विक्रय विलेख संख्या 56 दिनांक 20.07.2013 को अवैधानिक घोषित किया जाता है।

अतः हस्तगत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत ऐरनपुरा रोड़ द्वारा मिसल संख्या 133 / 2012–13 में पारित संकल्प संख्या 03 एवं भूमि विक्रय विलेख संख्या 56 दिनांक 20.07.2013 को अपास्त किया जाता है। साथ ही, न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 89 / 2014 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 30.07.2019 में आकृष्ट टिप्पणी के क्रम में **तहसीलदार सुमेरपुर** को निर्देश दिये जाते है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में लम्बित अपील संख्या 4753 / 2019 में राजहित के सरंक्षणार्थ प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें। **तहसीलदार सुमेरपुर** को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **10.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड पुनः लौटाया जाए।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner